



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 24.05.2026

थाना ललौली पुलिस द्वारा भैंस चोरी की घटना में संलिप्त एक शातिर हिस्ट्रीशीटर एवं गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सहित कुल 02 चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई भैंसों की बिक्री से प्राप्त 45,800 रुपये बरामदा।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.05.2026 को वादी श्री संतोष यादव पुत्र श्री जगरूप यादव निवासी अहिरन डेरा मजरे अढावल, थाना ललौली जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीर बाबत दिनांक 14.05.2026 को प्रार्थी के घर से दो भैंसे, दो पड़िया व एक पड़वा को चोरों द्वारा चोरी कर ले जाने के संबध में थाना ललौली पर मु0अ0स0 143/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम झब्बू सिंह पुत्र बटेरा सिंह उर्फ शिवराज सिंह निवासी ग्राम अढावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर एवं साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 24.05.2026 को थाना ललौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 143/26 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त झब्बू सिंह पुत्र बटेरा सिंह उर्फ शिवराज सिंह निवासी ग्राम अढावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 38 वर्ष व प्रकाश में आये अभियुक्त नौशाद पुत्र मुन्ना निवासी शाहपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर हालपता- मोहल्ला सातआना कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए चोरी की घटना में संलिप्त/प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

उल्लेखित है कि अभियुक्त झब्बू सिंह पुत्र बटेरा सिंह उर्फ शिवराज सिंह निवासी ग्राम अढावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 38 वर्ष एक शातिर हिस्ट्रीशीटर एच0एस0 न0-2077(A) तथा मु0अ0सं0 134/26 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. अभियुक्त झब्बू सिंह पुत्र बटेरा सिंह उर्फ शिवराज सिंह निवासी ग्राम अढावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 38 वर्ष (एच0एस0 न0- 2077(A))

2. नौशाद पुत्र मुन्ना निवासी शाहपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर हालपता- मोहल्ला सातआना कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी-

उक्त दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई भैंसों की बिक्री से प्राप्त 45,800 रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त झब्बू सिंह पुत्र बटेरा सिंह उर्फ शिवराज सिंह का आपराधिक इतिहास- एच0एस0 न0-2077(A) व मु0अ0सं0 134/26 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित

1. मु0अ0स0 216/2019 धारा 379 भादवि थाना ललौली जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0स0 123/2023 धारा 452/354(क)/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना ललौली जनपद फतेहपुर
3. निवारक कार्यवाही स0 100/2023 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना ललौली जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0स0 10/2024 धारा 379/411 भादवि थाना ललौली जनपद फतेहपुर
5. निवारक कार्यवाही स0 50/24 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना ललौली जनपद फतेहपुर
6. मु0अ0स0 54/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर
7. मु0अ0स0 55/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर
8. मु0अ0 स0 134/2026 धारा 2/3 यूपी गैंग0 एक्ट थाना ललौली जनपद फतेहपुर
9. मु0अ0सं0 143/26 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना ललौली जनपद फतेहपुर

2. अभियुक्त नौशाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

वर्तमान प्रकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामबचन सरोज थाना ललौली जनपद फतेहपुर
2. उ0नि0 एरिश पटेल
3. का0 प्रदीप कुमार
4. का0 अशोक पटेल
5. रि0 का0 आदर्श शुक्ला